

Bihar board class 8th civics notes chapter 8 खाद्य सुरक्षा

पाठ का सारांश- हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है। इस तरह के परिवार के सदस्यों को बहुत लम्बे समय तक पर्याप्त व पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। इससे वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं जिससे उनका शरीर कमजोर हो जाता है। उन्हें 'चिरकालिक भूख' से ग्रस्त कहा जाता है। ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार का फर्ज हो जाता है।

कुपोषण- जब किसी व्यक्ति के शरीर को आवश्यक व पर्याप्त आहार लम्बे समय तक नहीं मिल पाता तो वह 'कुपोषण' का शिकार कहलाता है। कुपोषित माता-पिता के संतान भी कुपोषित होते हैं। कुपोषित बच्चे अपनी उम्र से कम का दिखते हैं। उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। उनमें रोग-प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। सामान्य बीमारियाँ, जैसे बुखार, उल्टी, दस्त, पेंधा रोग, रतौंधी इत्यादि बीमारियाँ भी उनकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं।

* कुपोषण की पहचान-

शरीर की वृद्धि का रुकना।

खून की कमी होना।

मांसपेशियों का ढीला होना या सिकुड़ जाना।

शरीर का वजन कम हो जाना।

हाथ-पैर पतले और पेट बड़ा होना।

शरीर में सूजन होना।

हमेशा कमजोरी महसूस करना।

जल्दी-जल्दी बीमार पड़ना।

किसी काम में मन न लगना।

चिड़चिड़ापन होना।

भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अतः सरकार को लोगों को कुपोषित होने से रोकना ही चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 40 प्रतिशत महिलाएँ एवं 30 प्रतिशत पुरुष कुपोषित हैं।

रोजगार की तलाश-गाँवों में रोजगार के अवसर कम होने पर जब लोगों का पेट नहीं भरता, कुपोषण नहीं रुकता, तो वे शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। पर, जरूरी नहीं कि शहरों में भी उन्हें अच्छी मजदूरी वाले काम मिल जाएँ। वैसे भी कुपोषित शरीर वाले लोगों को लोग कई कामों में नहीं रखते। अतः कुपोषण का चक्र रुकने का नाम ही नहीं लेता। अतः शहरों में भी हजारों-हजार कुपोषित लोग भरे पड़े मिलेंगे। सरकार अपने सामाजिक दायित्व के तहत गरीब लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए

रोजगार योजनाएँ चला रही हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना काफी महत्वपूर्ण है जिसे पूर्व में नरेगा नाम से जाना जाता था। इसके तहत इच्छुक लोगों को उनकी पंचायत क्षेत्र सीमा के आस-पास एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार गारंटी देती है। पर सरकारी प्रयास देश के लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

खाद्य सुरक्षा के आयाम-

1. देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन और सरकारी अनाज भंडारों में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक।
2. प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य का खाद्यान्न उपलब्ध।
3. लोगों के पास अपनी भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध।

भंडारण- भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) माध्यम से लोगों को अनाज, गेहूँ और चावल दिये जाते हैं। निगम राज्यों के किसानों से गेहूँ और चावल थोक में खरीदकर उनका गोदामों में भंडारण करता है। इसे 'बफर स्टॉक' कहते हैं। इस बफर स्टॉक को सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से समाज में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस प्रणाली में भी बहुत दोषपूर्ण है। लोगों तक सामग्री पूरी नहीं पहुँच पाती।

राशन दूकान वाले सामानों को ब्लैक में बेच देते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सही मायने में गरीब और कुपोषित लोगों की मदद संभव हो

पाए, इसके लिए जरूरी है कि इसकी कमियों को सरकार दूर करे। साथ ही सरकार को अनाज के भंडारण की उचित व्यवस्था पर ध्यान देना होगा-भंडार में राशन नष्ट न हो पाए, सड़ न जाए-इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही, राशन दुकानों तक खाद्य सामग्री सही समय पर और सुचारू रूप से पहुँचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी ध्यान देना होगा कि सही मूल्य और सही मात्रा में लोगों को खाद्य सामग्री मिले और वह अच्छी क्वालिटी (गुणवत्ता) की खाद्य सामग्री हो, जानवरों को खिलाने योग्य न हो।